रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1080] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2015/वैशाख 31, 1937

No. 1080] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2015/VAISAKHA 31, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2015

का.आ 1368(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 में यह उपबंधित है कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा, जितनी वह ठीक समझता है;

और, अनुच्छेद 239कक में, जो 'संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991' द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, यह उपबंधित है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पदाभिधान उप-राज्यपाल होगा;

और, अनुच्छेद 239कक के खंड (3) के उप-खंड (क) में यह कथन है कि विधान सभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से तथा उस सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 से, जहां तक उनका संबंध उक्त प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से है, संबंधित विषयों से भिन्न राज्य सूची में या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में, जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्य क्षेत्रों को लागू है, संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी; और प्रविष्टि 1 'लोक व्यवस्था' के संबंध में है, प्रविष्टि 2 'पुलिस' के संबंध में है और प्रविष्टि 18 'भूमि' के संबंध में है;

और, अनुच्छेद 239कक के खंड (3) का उप-खंड (क) राज्य सूची में या समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों को भी, जहां तक वे संघ राज्यक्षेत्र को लागू होने वाले ऐसे किसी विषय के संबंध में है, अर्हक बनाता हैं। इस उपबंध के

अधीन, राज्य सूची की प्रविष्टि 41 के प्रति निर्देश किया जा सकता है जो कि राज्य लोक सेवाओं, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में है जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में विद्यमान नहीं हैं;

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा कार्मिकों का संघ राज्य क्षेत्र काडर दिल्ली, चंडीगढ़, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों तथा अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के लिए समान है, जिसका प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है ; और इसी प्रकार दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (दानिक्स) तथा दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (दानिक्स) समान सेवाएं हैं जो दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों की दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सहित अपेक्षा को पूरी करती हैं, जिसका प्रशासन भी केंद्रीय सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की अपनी स्वयं की राज्य लोक सेवाएं नहीं हैं । अतः, 'सेवाएं' इस प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आएंगी;

और, यह सुस्थापित है कि जहां कोई विधायी शक्ति नहीं होती है, वहां कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं होती है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति की सह-विस्तारी शक्ति है;

और, राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18, जो क्रमशः 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'भूमि' के संबंध में है और उस सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66, जहां तक उनका संबंध प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से है, से संबंधित विषय और 'सेवाएं' भी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा के कार्य क्षेत्र के बाहर के विषय हैं और परिणामतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की सरकार की उपरोक्त के संबंध में कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं होगी और इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त विषयों के संबंध में शक्ति अनन्य रूप से राष्ट्रपति अथवा उनके प्रतिनिधि अर्थात् दिल्ली के उप-राज्यपाल में निहित है ।

2. अतः, अब, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239कक के खंड (3) के उप-खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा यह निदेश देते हैं कि,—

(i) उनके नियंत्रण और अगले आदेशों के अधीन रहते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का उप-राज्यपाल, इसमें इसके पूर्व यथाकथित 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस', 'भूमि' और 'सेवाओं' से संबंधित विषयों के संबंध में, राष्ट्रपति द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित सीमा तक, केंद्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निवर्हन करेगा:

परंतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का उप-राज्यपाल, अपने विवेकानुसार, 'सेवाओं' के विषय के संबंध में, जहां-कहीं वह समुचित समझे, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री के विचार अभिप्राप्त कर सकेगा;

(ii) तारीख 23 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्यांक 14036/4/2014-दिल्ली-1 (भाग फाइल) द्वारा यथा संशोधित तारीख 8 नवंबर, 1993 की अधिसूचना संख्यांक एफ-1/21/92-गृह (पी.), स्था. 1750 में,—

(i) पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2. यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 239कक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए केवल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होगी ।";

(ii) पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. भ्रष्टाचार निरोध शाखा पुलिस स्टेशन केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों या जनसाधारण के किसी सदस्य के विरुद्ध अपराधों का कोई संज्ञान नहीं लेगा ।"।

3. इस अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. का.आ. 853(अ) [फा. सं. यू-11030/2/98-यू.टी.एल.], तारीख 24 सितंबर, 1998 को उन बातों के सिवाय, जो ऐसे अतिष्ठित किए जाने के पूर्व की गई हैं या जिनके किए जाने का लोप किया गया है, अतिष्ठित किया जाता है ।

[फा. सं. 14036/04/2014-दिल्ली-1 (भाग फाइल)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2015

S.O. 1368(E).—Whereas article 239 of the Constitution provides that every Union Territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify;

And whereas article 239AA inserted by 'the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991' provides that the Union Territory of Delhi shall be called the National Capital Territory of Delhi and the administrator thereof appointed under article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor;

And whereas sub-clause (a) of clause (3) of article 239AA states that the Legislative Assembly shall have power to make laws for the whole or any part of the National Capital Territory with respect to any of the matters enumerated in the State List or in the Concurrent List in so far as any such matter is applicable to Union Territories except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of that List in so far as they relate to the said Entries 1, 2 and 18; and whereas Entry 1 relates to 'Public Order', Entry 2 relates to 'Police' and Entry 18 relates to 'Land'.

And whereas sub-clause (a) of clause (3) of article 239AA also qualifies the matters enumerated in the State List or in the Concurrent List in so far as any such matter is applicable to Union Territories. Under this provision, a reference may be made to Entry 41 of the State List which deals with the State Public Services, State Public Service Commission which do not exist in the National Capital Territory of Delhi.

Further, the Union Territories Cadre consisting of Indian Administrative Service and Indian Police Service personnel is common to Union Territories of Delhi, Chandigarh, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, Puducherry and States of Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram which is administered by the Central Government through the Ministry of Home Affairs; and similarly DANICS and DANIPS are common services catering to the requirement of the Union Territories of Daman & Diu, Dadra Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep including the National Capital Territory of Delhi which is also administered by the Central Government through the Ministry of Home Affairs. As such, it is clear that the National Capital Territory of Delhi does not have its own State Public Services. Thus, 'Services' will fall within this category.

And whereas it is well established that where there is no legislative power, there is no executive power since executive power is co-extensive with legislative power.

And whereas matters relating to Entries 1, 2 & 18 of the State List being 'Public Order', 'Police' and 'Land' respectively and Entries 64, 65 & 66 of that list in so far as they relate to Entries 1, 2 & 18 as also 'Services' fall outside the purview of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi and consequently the Government of NCT of Delhi will have no executive power in relation to the above and further that power in relation to the aforesaid subjects vests exclusively in the President or his delegate i.e. the Lieutenant Governor of Delhi.

Now, therefore, in accordance with the provisions contained in article 239 and sub-clause (a) of clause (3) of 239AA, the President hereby directs that -

(i) subject to his control and further orders, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, shall in respect of matters connected with 'Public Order', 'Police', 'Land' and 'Services' as stated hereinabove, exercise the powers and discharge the functions of the Central Government, to the extent delegated to him from time to time by the President.

Provided that the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, in his discretion, obtain the views of the Chief Minister of the National Capital Territory of Delhi in regard to the matter of 'Services' wherever he deems it appropriate.

2. In the Notification number F. 1/21/92-Home (P) Estt. 1750 dated 8th November, 1993, as amended *vide* notification dated 23rd July, 2014 bearing No. 14036/4/2014-Delhi-I (Pt. File), for paragraph 2 the following paragraph shall be substituted, namely:—

"2. This notification shall only apply to officials and employees of the National Capital Territory of Delhi subject to the provisions contained in the article 239AA of the Constitution."

after paragraph 2 the following paragraph shall be inserted, namely:—

"3. The Anti-Corruption Branch Police Station shall not take any cognizance of offences against Officers, employees and functionaries of the Central Government".

3. This Notification supersedes earlier Notification number S.O. 853(E) [F. No. U-11030/2/98-UTL] dated 24th September, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession.

[F. No. 14036/04/2014-Delhi-I (Part File)]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.